राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.14(8)वित्त/नियम/2013पार्ट–II जयपुर, दिनांक : 29 NOV 2017

आज्ञा

समसंख्यक आज्ञा दिनांक 28 जुलाई,2017 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 की अनुसूची–V में विचाराधीन संशोधन के दृष्टिगत ग्रेड पे रू. 1750/–, रू. 1900/–, रू. 2000/–, रू. 2400/–, रू. 2800/– एवं रू. 4800/– में सीधी भर्ती से नियुक्त जिन कर्मचारियों का दिनांक 01.07.2013 या इसके पश्चात प्रारम्भिक वेतन दिनांक 01.07.2013 से प्रभावी अनुसूची–V (अधिसूचना प.14(1)वित्त/नियम/2013 दिनांक 28.06.2013) के अनुसार निर्धारित किया गया था, उन कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2017 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि को आगामी आदेशों तक स्थगित रखा गया था।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 की अनुसूची–V को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना प.14(1)वित्त/नियम/2013 दिनांक 30.10.2017 के द्वारा दिनांक 01.07.2013 से संशोधित किया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित ग्रेड पे के जिन कर्मचारियों की दिनांक 01.07.2017 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि स्थगित रखी गई थी, उन कर्मचारियों को जिनका प्रारम्भिक वेतन दिनांक 01.07.2013 से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 की उक्त अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के क्रम में संशोधित कर दिया गया है उन कर्मचारियों को संशोधित मूल वेतन पर दिनांक 01.07.2017 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ।
9. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
10. समस्त कोषाधिकारी।
11. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग (7 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
12. अतिरक्त निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल)।
13. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
14. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

29/11/2017

(महेन्द्र सिंह भूकर)
संयुक्त शासन सचिव–I, वित्त

(RPS 08-13/2017)